कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-49/2017-18/

दिनांक : /11/2017

सेवा में,

अ धशासी अ धकारी

नगर पा लका परिषद

टनकपुर

वषय : नगर पा लका परिषद का वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे शून्य प्रस्तर, भाग- 2(ब) में 05 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2(अ) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 49/2017-18/ दिनांक : /11/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1. निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पासदेहरादून ,
2. निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट), द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या - **49** वर्ष **2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ धकारी**,** नगर पा लका परिषद**,** टनकपुर **,** जनपद- चंपावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.एल.शर्मा, स.ले.प.अ., श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ. एवं श्री अंकित बंसल, ले.प. द्वारा दिनांक 13.08.2015 से 01.09.2015 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी थी।
2. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**-:

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **1.02 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **17,626**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **09**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **36**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **--**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **49**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **139 दुकानें एवं 06 भवन**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये |

: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद टनकपुर, चम्पावत को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि ( ) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	4958596	4889882	20904873	23176974	5215000	7008097	0	2686495	0	3096785
2015-16	2686495	3096785	47512862	47758473	8959339	5508103	0	2440884	0	6548021
2016-17	2440884	6548021	35964543	35511320	17298597	4602573	0	2894107	0	19244045
कुल योग			**104382278**	**106446767**	**31472936**	**17118773**				

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद टनकपुर, चम्पावत का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	188679	2940000	3128679	1651817	1476862
2	राज्य वित्त आयोग	1745421	16919000	18664421	17959818	704603
3	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	0	0	0	0	0
6	बी.आर.जी.एफ.	267711	0	267711	47329	220382
7	पर्यटन विकास	0	100000	100000	100000	0
8	सांसद निधि	11005	0	11005	11005	0
9	विधायक निधि	2627487	675000	3302487	2649460	653027
10	मेला अनुदान	0	1500000	1500000	753486	746514
11	पी.आई.यू.	1795000	0	1795000	1795000	0
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	3213175	3985873	7199048	5217156	1981892
	कुल योग	**9848478**	**26119873**	**35968351**	**30185071**	**5783280**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद टनकपुर, चम्पावत का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	1476862	2824000	4300862	3124474	1176388
2	राज्य वित्त आयोग	704603	16919000	17623603	16826306	797297
3	अवस्थापना विकास निधि	0	3246000	3246000	0	3246000
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	0	0	0	0	0
6	बी.आर.जी.एफ.	220382	0	220382	205226	15156
7	पर्यटन विकास	0	0	0	0	0
8	सांसद निधि	0	0	0	0	0
9	विधायक निधि	653027	2189339	2842366	905112	1937254
10	मेला अनुदान	746514	700000	1446514	1273291	173223
11	पी.आई.यू.	0	0	0	0	0
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	1981892	30593862	32575754	30932167	1643587
	कुल योग	**5783280**	**56472201**	**62255481**	**53266576**	**8988905**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद टनकपुर, चम्पावत का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	1176388	4600000	5776388	2143687	3632701
2	राज्य वित्त आयोग	797297	26919000	27716297	26837152	879145
3	अवस्थापना विकास निधि	3246000	9842000	13088000	351312	12736688
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	618000	618000	230000	388000
5	मा. मुख्यमंत्री घोषणा	0	1170000	1170000	0	1170000
6	बी.आर.जी.एफ.	15156	0	15156	0	15156
7	पर्यटन विकास	0	0	0	0	0
8	सांसद निधि	0	114000	114000	0	114000
9	विधायक निधि	1937254	854597	2791851	1604351	1187500
10	मेला अनुदान	173223	100000	273223	273223	0
11	पी.आई.यू.	0	0	0	0	0
12	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	1643587	9045543	10689130	8674168	2014962
	कुल योग	**8988905**	**53263140**	**62252045**	**40113893**	**22138152**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद टनकपुर, चम्पावत का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	188679	2940000	3128679	1651817	1476862
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	1476862	2824000	4300862	3124474	1176388
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	1176388	4600000	5776388	2143687	3632701
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	0	618000	618000	230000	388000
2014-15	बी.आर.जी.एफ.	267711	0	267711	47329	220382
2015-16	बी.आर.जी.एफ.	220382	0	220382	205226	15156
2016-17	बी.आर.जी.एफ.	15156	0	15156	0	15156

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 1– ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किया जाना एवं रू0 91.81 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किया जाना।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	अनुपालन
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग–अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू–भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू–भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

उपरोक्त के अलावा **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016** के **बिन्दु 15(1)(ड.)** के अनुसार नगरीय निकाय इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के उपबन्धों को समाविष्ट करते हुये उपविधियां बनायेगा एवं समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा, **बिन्दु 15(1)(यघ)** के अनुसार निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बर्साती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के हथालन में लगे सभी कार्मिको को उपलब्ध करायेगा और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा, **बिन्दु 15 (1)(यक) एवं (यख)** के अनुसार नगरीय प्राधिकारी प्रारूप IV में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट निदेशक, शहरी विकास को दिनांक 30 अप्रैल एवं सचिव, शहरी विकास विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 31 मई तक प्रेषित करेगा, **बिन्दु 15 (1)(ठ)** के अनुसार निकाय अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्रशिक्षण देगा, **बिन्दु 25** के अनुसार यदि किसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या सुविधा केन्द्र या भराव भूमि स्थल पर कोई दुर्घटना होने की दशा में, तब सुविधा का प्रभारी अधिकारी प्रारूप–VI में घटना की रिपोट स्थानीय निकाय को भेजेगा, बिन्दु 15(1)(म एवं य) के प्रावधानों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जायेगा।

नगर पालिका परिषद, टनकपुर, चम्पावत (न0पा0प0) के ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि न0पा0प0 परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 0.162 टन अपशिष्ट के सापेक्ष 0.100 टन अपशिष्ट 03 वाहनों के माध्यम से घरों से बिना पृथकीकृत किये संग्रहित किया जा रहा था। परिक्षेत्र में कोई भी सामुदायिक बिन नहीं रखा गया था। उपयोग में लाये जा रहे वाहन खुले थे। न0पा0प0 द्वारा ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया एवं भू–भरण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त नही किया गया था। न0पा0प0 द्वारा नियमानुसार वार्षिक रिपोर्ट शहरी विकास निदेशालय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक वर्ष

प्रेषित नहीं की जा रही थी। न0पा0प0 परिक्षेत्र में कोई भी कमपोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण नहीं उपलब्ध था जिसके कारण संग्रहित अपशिष्ट को बिना किसी प्रक्रिया के वन विभाग के अनाधिकृत भू–भाग पर डाला जा रहा था। ट्रेंचिंग ग्राउण्ड परिक्षेत्र का वायु, भूगर्भीय जल एवं लीचेट (Leachate) की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर पालिका परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में पालिका परिक्षेत्र में होने वाले प्रदूषण का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं था। उपरोक्त के अलावा न0पा0प0 के प्राधिकार में कप्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी। न0पा0प0 द्वारा कोई उपविधि नहीं बनायी गयी थी, कार्मिको को बहुत ही अल्प मात्रा में सुरक्षात्मक उपकरण वितरित किये गये थे। अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। न0पा0प0 द्वारा वर्ष 2016–17 में केन्द्रीय वित आयोग एवं राज्य सरकार से प्राप्त के अन्तर्गत व्यय की गयी राशि रू0 91.81 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।

उपरोक्त के अलावा न0पा0प0 के पास बिन, वाहन एवं उपकरण में आवश्यक्ता के सापेक्ष निम्नानुसार कमियां पायी गयी।

बिन, वाहन एवं उपकरण का नाम	**आवश्यक्ता**	**उपलब्धता**	**कमी**
बिन (01 घनमीटर)	30	00	30
वाहन	07	03	04
उपकरण (रिक्सा ठेली)	40	10	30

इस प्रकार न0पा0प0 द्वारा पालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली के अनुसार नहीं किया जा रहा था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वाहनों की कमी होने के कारण सम्पूर्ण ठोस अपशिष्ट नहीं उठाया जा रहा है, निकाय के पास उपलब्ध वाहन उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है, वैज्ञानिक भूमि भरण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण अपशिष्ट का पृथकीकरण नही किया जा रहा है, नियमों के अनुसार उपविधियां भविष्य में बनायी जायेगी, भविष्य में आवश्यक सुरक्षा उपकरण क्रय करके सफाई कर्मचारियों को वितरित किया जायेगा। भविष्य में रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित कार्यालयों को प्रेषित की जायेगी, बजट उपलब्ध न होने के कारण कार्मिकों को प्रशिक्षण नही दिया गया, भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कम्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण की स्थापना सम्भव नहीं है, वार्षिक रिपोर्ट वर्तमान में नही भेजी जा रही है, भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा। भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि न0पा0प0 द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन नहीं किया जा रहा था तथा 2016–17 में व्यय की गयी राशि रू0 91.81 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।

अतः ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किये जाने एवं रू0 91.81 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 2 : इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `15,615/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पालिका परिषद, टनकपुर, चम्पावत के चयनित निर्माण कार्यों के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया था तथा इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान **संलग्नक 'क'** के अनुसार **05** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`15,61,409/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में में **`15,615/-** की धनराशि की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेश की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया | इकाई ने आगे बताया कि संबन्धित ठेकेदारों से लेबर सेस की धनराशि **`15,615/-** की वसूली करने के उपरान्त राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

संलग्नक–क

नगर पालिका परिषद, टनकपुर, चम्पावत के चयनित निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती न किए जाने का विवरण(लेखापरीक्षा अवधि 2015–16 से 2016–17)					
क0 सं0	कार्यका नाम	कार्य के सापेक्ष बिल के भुगतान की धनराशि	लैबर सेस की कटौती		
			जो की जानी थी (@ 1%)	जो की गई	अंतर
1	पूर्णगिरी मेला अनुदान से पुलिस चौकी निर्माण	229581	2296	0	2296
2	वार्ड न0 3 में सी0सी0 पुनः निर्माण कार्य	303890	3039	0	3039
3	वार्ड न0 1 शारदा घाट पर नाली निर्माण,रैम्प निर्माण, नाली डाइवर्जन का कार्य	313799	3138	0	3138
4	पालिका क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वार्डों में नालियों का निर्माण	513965	5140	0	5140
5	चाचा नहेरू मोंटेसरी स्कूल की मरम्मत का कार्य	200174	2002	0	2002
	कुल योग	**1561409**	**15615**	**0**	**15615**

भाग दो - ब

प्रस्तर 3: दुकानों, भवनो आदि के कराए की लंबित वसूली तथा अनुबंध का त्रुटिपूर्ण क्रयान्वयन।

उत्तर प्रदेश नगरपा लका अ धनियम, 1916 की धारा 114 (1) मे प्रावधानित है क प्रत्येक नगर पा लका के लए एक नगर पा लका नि ध स्था पत की जाएगी और इसमे प्राप्त सभी रा शयाँ जिसमे राज्य की सं चत नि ध से प्राप्त सहायता अनुदान और नगर पा लका द्वारा या उसकी ओर से लए गए सभी ऋण सम्मि लत हैं, जमा की जाएगी।

धारा 128 (2) (एक) के अनुसार नगर पा लका ऐसे व्यापार और आजी वका पर कर जो नगर पा लका क सीमाओं के भीतर कए जाते हों, और जिन्हे नगर पा लका सेवाओं से वशेस लाभ हो रहा हो, या जिनसे उक्त सेवाओं पर वशेस भार पड़ रहा हो; (सात) वज्ञापनों पर कर, जो समाचार पत्रों में प्रका शत वज्ञापन न हों।

इकाई की लेखापरीक्षा (अगस्त 2017) में कराए के मांग पंजिका के जांच में देखा गया क नगर पा लका परिषद, टनकपुर के स्वा मत्व के स्वा मत्व के भवनों / दुकानों / फड़ों[1] को पा लका के राजस्व में वृद् ध के उद्देश्य से कराए पर दिया गया था जिसके सापेक्ष कराए की वसूली वत्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में `4.28 लाख लंबित थी। आगे भवनो /दुकानों के अनुबंध पत्रों के अवलोकन मे देखा गया क:

- अनुबंध में कराए के पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं था;
- बकाए कराए के संबंध में दंडात्मक प्रावधान नहीं थे, ता क कराए की वसूली न हो पाने की दशा मे दंड आरो पत कए जा सकें;
- नैनीताल ज़िला कोप्राटिव बैंक ल मटेड, हल्द्वानी को कराए पर दिये गए भवन के वरुद्ध बकाए रकम `30,562 (अगस्त 2007 के ववरण के अनुसार) बकाया थी जिस पर कोई दंडात्मक ब्याज आरो पत नहीं कया गया था।

इस प्रकार पा लका की स्थायी परिसंप त्तयों के सम्यक रखरखाव का अभाव था, तथा संप त्त के कराए पर दिये जाने से पा लका को होने वाले राजस्व मे अपे क्षत वृद् ध नहीं की जा सकी थी।लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया क भ वष्य में अनुबंध में वसूली / दंड के प्रावधान आदि का ववरण उल्लि खत कया जाएगा।

इस प्रकार स्थायी परिसंप त्तयों के सम्यक रखरखाव के अभाव में ईकाई के स्वयं के राजस्व में वृद् ध का अभाव था।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया

---

[1]भवन: 06, दुकान : 139 एवं फड़ों की संख्या : 10

भाग दो ब

प्रस्तर 4: सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवा निवृ त्त लाभ की धनरा श `166.02 लाख की देनदारी लंबित रहना।

पेंशन नियमावली के अनुसार सेवा निवृत्त होने वाले अ धकारियों/कर्मचारियों को सेवा निवृ त्त के साथ ही उनके सेवा निवृ त्त लाभ से संबन्धित देयकों का अ वलंब भुगतान कर दिया जाना चाहिए, ता क सेवा निवृ त्त के उपरांत कर्मचारियों को वत्तीय परेशानियों का सामना न करना पड़े एवं देनदारी लंबित न रहे।

नगर पा लका परिषद टनकपुर, जनपद चम्पावत के सेवा निवृत्त अ धकारियों/ कर्मचारियों के देयकों से संबन्धित पत्राव लयों की जाँच में पाया गया क नगर पा लका के 55 सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन, सेवानिवृ त्त उपादान एवं छठे वेतनमान के लागू होने के उपरांत वेतन के लंबित बकाए आदि देयकों का भुगतान नहीं कया गया था। आगे जाँच में पाया गया क इनमें से 21 कर्मचारियों की मृत्यु भी हो चुकी है। लेखापरीक्षा ति थ (अगस्त 2017) तक इकाई पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देयता निम्नवत थी: -

क्रमांक	देयता का प्रकार	कर्मचारियों की संख्या	देयता की धनरा श
1.	पेंशन	55	1,20,20,479.00
2.	सेवानिवृ त्त उपदान	17	34,41,442.00
3.	वेतन/एसीपी एरिअर	16	11,40,203.00
		योग	1,66,02,124.00

कर्मचारियों के सेवानिवृ त्त के उपरांत लंबा समय बीत जाने के बाद भी इकाई द्वारा कर्मचारियों को उनके देयकों की धनरा श ` 166.02 लाख के भुगतान न कए जाने के संबंध में लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया क छठे वेतनमान लागू होने से पेंशन की धनरा श में बढ़ोत्तरी हुई है जिसे इकाई की सी मत आय से भुगतान नहीं कया जा सका। उक्त धनरा श के भुगतान हेतु कृत कार्यवाही के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया था क इस संबंध में शासन को सू चत कया गया है एवं धनरा श की मांग की गयी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क शासन द्वारा स्पष्ट कया गया था क निकायों में छठे वेतनमान लागू कए जाने के फलस्वरूप बढ़ने वाले वत्तीय भार का वहन निकाय नि ध से ही कया जाएगा तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वत्तीय सहायता पृथक से प्रदान नहीं की जाएगी इस लए इकाई को अपनी आय को बढ़ाकर एवं नियोजित ढंग से भुगतान कया जाना चाहिए था ता क इकाई पर देयता न बने।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 5: नव-नियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रयान्वयन न कया जाना।

शासनादेश सं 21/xxvvi (7)अ.पे.यो/2005 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओ/राज्य सहायता प्राप्त शक्षण संस्थाओं में समस्त नईभर्तियों पर 01 अक्टूबर 2005 से नयी परिभा षत अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी, जिसके अंतर्गत वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10प्रतिशत केसमतुल्य धनरा श का अंशदान कया जाएगा एवं इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्यसरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शक्षण संस्थाद्वारा कया जाएगा। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट कया गया था क जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के वषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक कसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भ वष्य नि ध पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुर क्षत निवेश कया जाय ता क जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनरा श प्रत्येक कर्मचारी के ववरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाय।

कार्यालय नगर पा लका परिषद,टनकपुर, जनपद चम्पावत के अ धकारियों/कर्मचारियों के नई अंशदान पेंशन योजना के अ भलेखों की जांच में पाया गया क 01 अक्टूबर, 2005 के बाद नगर पा लका परिषद,टनकपुर में निम्न ल खत कर्मचारियों को सेवा में नियुक्त कया गया था:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमति)	पदनाम	नियुक्ति की ति थ
1.	कैलाश संह	ल पक	26/11/07
2.	अनुराधा	ल पक	17/11/16
3.	नीरज संह	माली	22/10/08
4.	प्रकाश नेगी	चपरासी	29/05/09
5.	शकुन सक्सेना	माली	23/12/11
6.	सुरेश	पर्यावरण मत्र	07/07/06
7.	वशाल	पर्यावरण मत्र	15/01/07

8.	मधुसूदन	पर्यावरण मत्र	01/01/09
9.	राकेश कुमार	पर्यावरण मत्र	01/01/09
10.	सुनील कुमार	पर्यावरण मत्र	01/01/09
11.	योगेश	पर्यावरण मत्र	01/01/09
12.	अशोक	पर्यावरण मत्र	01/01/09
13.	सोमपाल	पर्यावरण मत्र	01/01/09
14.	वशाल बाबू	पर्यावरण मत्र	01/01/09
15.	राजेंद्र	पर्यावरण मत्र	01/01/09
16.	सीमा	स्वच्छक	23/12/11
17.	वत्रा देवी	स्वच्छक	03/07/13
18.	शंकर	स्वच्छक	01/11/13
19.	संतोष	स्वच्छक	01/11/13

उक्त कर्मचारियों के वेतन बिलों की जांच में पाया गया क कर्मचारियों के वेतन से नियुक्ति ति थ से आति थ (अगस्त 2017) तक न तो नई अंशदायी पेंशन योजना के अंशदान की कटौती (वेतन, महंगाई वेतन/ग्रेड वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10प्रतिशत)की जा रही थी और न ही इसी के समतुल्य सेवायोजक द्वारा प्रदत्त कया जा रहा था। इकाई द्वारा नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना का क्रयान्वयन नहीं कया जा रहा था।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया गया क इस संबंध में बोर्ड में प्रस्ताव पारित करवाकर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क शासन द्वारा नव-नियुक्त कर्मचारियों के नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित शासनादेश 2005 में ही निर्गत कर दिये गए थे एवं इनके क्रयान्वयन नहीं होने के कारण संबन्धित कर्मचारियों को आ र्थक क्षति हुयी है।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद टनकपुर, जनपद- चम्पावत** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2015-16** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री वी.पी.सिंह, ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2017 से 08 सितम्बर 2017 तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
स्था-प्रतिवेदन संख्या/.नि. 1216-2015//1534 दिनांकित 31.12.2015	शून्य	)4ब-(II के प्रस्तर संख्या 09 से 01	01 से 02

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्थाप्रतिवेदन /.नि. -संख्या12-2015/ 16/1534 दिनांकित 31.12.2015	05	इकाई द्वारा लेखापरीक्षा दल को प्रस्तर संख्या की 05 अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई गई| इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि प्रतिवेदन के अन्य प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र तैयार कर प्रेषित कर दी जायेगी |	इकाई द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रस्तर संख्या की 05 अनुपालन आख्या के परीक्षण के उपरांत उक्त प्रस्तर को निस्तारित किए जाने की संस्तुति की जाती है। प्रतिवेदन के अन्य प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका |	प्रतिवेदन के प्रस्तर संख्या को 05 निस्तारित किए जाने की संस्तुति की जाती है।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग – V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद टनकपुर, जनपद-चम्पावत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **--**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री शेखर चन्द्र जोशी	अधिशासी अधिकारी	04.06.13 से तक 19.07.17
02.	श्री जयवीर सिंह राठी	अधिशासी अधिकारी	29.07.17 से वर्तमान तक
03.	श्रीमती लक्ष्मी पाण्डेय	अध्यक्षा	से वर्तमान तक 04.05.13

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद टनकपुर, जनपद-चम्पावत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195** को प्रेषित कर दी जाय |

लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय